रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एच० एम०/13-14/96.

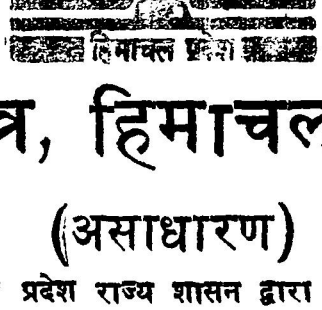

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 6 अप्रैल, 1996/17 चैत्र, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 30 सितम्बर, 1995

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) (बी) (16)-9/95.—हिमाचल प्रदेश लाइव-स्टाक ऐण्ड बर्डज डिजीज ऐ
1968 (1969 का 24) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख 20-12-19

के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपरक उपबन्ध) अधीन नियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश पशुधन और पक्षी रोग अधिनियम, 1968

(1969 का 24)

(30-11-95 को यथा विद्यमान)

पशुधन और पक्षियों को प्रभावित करने वाले रोगों के निवारण और नियन्त्रण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुधन और पक्षी रोग अधिनियम, 1968 है ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और सरकार अधिसूचना द्वारा, शेष अधिनियम या इसके किसी भाग को हिमाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश के किसी क्षेत्र में, ऐसी तारीख को और ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त कर सकेगी जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

इस अधिनियम के उपबन्धों से क्षेत्रों को छूट देने की शक्ति ।

2. धारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम के किन्हीं या सभी उपबन्धों से छूट दे सकेगी या निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबन्ध, किसी क्षेत्र में, ऐसे परिवर्तन के साथ जैसे विनिर्दिष्ट किए जाएं लागू होंगे ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कोई बात, विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "संक्रामित पशुधन या पक्षी" वह है जो अनुसूचित रोग से प्रभावित है या हाल में इस प्रकार प्रभावित पशु या पक्षी के सम्पर्क में या सामीप्य में रहा है ;

(ख) पक्षी से पालतू मुर्गी, हंस या चूजा अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य पक्षी हैं जो समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ग) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(घ) "पशुधन" से अभिप्रेत है फार्म पर या व्यक्तियों द्वारा रखे गए सभी पालतू पशु जिसके अन्तर्गत घोड़े, गधे, खच्चरें, हाथी, ढोर, भैंसे, बकरियां, भेड़ें, कुत्ते, बिल्लियां या दूसरे ऐसे पशु भी हैं जिन्हें समय-समय पर, सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ङ) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ।

अनुसूचित रोग ।

4. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रथमतः अनुसूची में विनिर्दिष्ट रोग अनुसूचित रोग होंगे, किन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(क) अनुसूची में से कोई प्रविष्टि हटा सकेगी, या

(ख) पशुधन या पक्षियों के किसी संक्रामक रोग को अनुसूची में सम्मिलित कर सकेगी जिसके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों का लागू किया जाना उसकी राय में समीचीन है ।

पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक ।

5. (1) सरकार, सहायक पशु चिकित्सा शल्य-चिकित्सक के पद के धारक किसी व्यक्ति को या किसी मान्यता प्राप्त पशु-चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातक को, जिसे वह उचित समझे या तो नाम से या पदनाम से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पशु शल्य-चिकित्सक नियुक्त कर सकेगी, और उस क्षेत्र को परिभाषित कर सकेगी जिसमें वह पशु चिकित्सा शल्य-चिकित्सक की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(2) पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक को इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह ऐसी शक्तियों का अपनी पशु-चिकित्सा शल्य-चिकित्सक की शक्तियों के साथ-साथ प्रयोग कर सकेगा ।

निरीक्षक ।

6. सरकार किसी व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे या तो नाम से या पदनाम से, इस अधिनियम के किन्हीं या सभी प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी, और उस क्षेत्र को परिभाषित कर सकेगी, जिसमें वह ऐसे प्रयोजनों से अनुषंगिक शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा ।

पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सकों और निरीक्षकों की हैसियत ।

7. धारा 5 या धारा 6 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा । 1860

निरीक्षकों की शक्तियां ।

8. निरीक्षक, सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त और उस पर अधिरोपित शक्तियों के प्रयोग या कर्त्तव्यों के पालन के लिए, किसी भूमि या इमारत अथवा अन्य स्थान या किसी जलयान अथवा यान में प्रवेश और निरीक्षण कर सकेगा ।

अध्याय 2

रोग नियन्त्रण

अन्तर-राज्यिक व्यापार को विनियमित करने और रोग फैलाने वाले पशुओं और पक्षियों तथा चीजों के परिवहन को नियन्त्रित करने की शक्ति ।

9. (1) सरकार, किसी अधिसूचित रोग के प्रकोप या फैलने के निवारण के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक जो वह उचित समझे निम्नलिखित प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगी,--

(क) किसी जीवित या मृतक पशु या पक्षी अथवा पशु या पक्षियों के किन्हीं भागों अथवा चारे, बिछौने या अन्य चीजें हिमाचल प्रदेश या उसके किसी विनिर्दिष्ट स्थान में, जो इसकी राय में संक्रमण पहुंचा सकते हैं को लाना या ले जाना ;

(ख) हिमाचल प्रदेश के किसी विनिर्दिष्ट भाग से किसी ऐसे पशुधन या पक्षी अथवा पशुधन या पक्षी अथवा चीजों के भागों का हटाया जाना ।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे मौसम या मौसमों को जिनके दौरान और ऐसे मार्ग या मार्गों को जिन द्वारा हिमाचल प्रदेश में पशुधन या पक्षियों का आयात किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार नियत मौसम के दौरान और मार्गों से अन्यथा द्वारा, पशुधन या पक्षियों का हिमाचल प्रदेश में आयात नहीं करेगा ।

(3) सरकार, ऐसे पशुधन और पक्षियों के निरीक्षण और निरोध के लिए उप-धारा (2) के अधीन नियत मार्ग के पास 'निरोधा स्टेशन (करंतीन स्टेशन) स्थापित कर सकेगी ।

(4) निरोधास्टेशन (करंतीन स्टेशन) में, निरीक्षण और टीका लगाने, यदि आवश्यक हो तो चिन्हित करने और पशुधन या पक्षियों को स्टेशन से मुक्त करने के लिए अनुज्ञा-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए निरोध अवधि, ऐसी होगी जैसी सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(5) इस प्रकार निरुद्ध पशुधन या पक्षी भारसाधक व्यक्ति की देख-रेख में रहेंगे जो उनको चारा देने और अनुरक्षण करने तथा उन्हें टीका लगाने और चिन्हित करने की फीस के संदाय के लिए जैसी कि सरकार द्वारा विहित की जाए, उत्तरदायी होगा ।

मंडियों, मेलों आदि के लगाने को नियन्त्रित करने की शक्ति ।

10. सरकार, किसी अधिसूचित रोग के प्रकोप या फैलाव के निवारण के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पशुधन और पक्षियों की मंडियां, मेले, प्रदर्शनियां लगाने या अन्य केन्द्रीकरण को अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति में और उस सीमा तक, जैसी वह उचित समझे, प्रतिषिद्धियां विनियमित कर सकेगी ।

संक्रामी पशुधन या पक्षियों के दुर्व्यापार को नियन्त्रित करने की शक्ति ।

11. सरकार विनियमों द्वारा, संक्रामी पशुधन या पक्षियों अथवा मृत्यु के समय संक्रामी पशुधन या पक्षियों के शवों, ऐसे पशुधन या पक्षियों के किन्हीं भागों, या घास-फूस, चारे के बर्तनों या अन्य चीजों के जो संक्राम फैला सकेगी, विक्रय या अन्य दुर्व्यापार को प्रतिषिद्ध या परिसीमित कर सकेगी ।

जलयानों और यानों की सफाई और विसंक्रामण।

12. (1) पशुधन या पक्षियों के परिवहन के लिए सामान्य वाहक द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक जलयान या यान को कलिकत: ऐसी रीति में साफ और विसंक्रामित किया जाएगा, जैसी सरकार विनियमों द्वारा विहित करे ।

(2) सरकार ऐसे स्थान नियत कर सकेगी, जहां निरीक्षक किसी ऐसे जलयान या यान को निरुद्ध कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा और यदि वह स्वच्छ दशा में न हो तो, निरीक्षक उसे विहित रीति में ऐसे समय के भीतर जैसा वह नियत करे साफ और विसंक्रामित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) यदि ऐसा जलयान या यान नियत समय में साफ और विसंक्रामित नहीं किया जाता है, तो निरीक्षक इसे इसके स्वामी के खर्च पर साफ और विसंक्रामित करवा सकेगा ।

(4) यह धारा रेल गाड़ियों या वायुयान पर लागू नहीं होगी ।

अनुसूचित रोग की रिपोर्ट करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य।

13. उस पशुधन या पक्षियों का प्रत्येक स्वामी या भार-साधक व्यक्ति अथवा हिमाचल प्रदेश में उन्हें लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति और उनके उपचार के लिए बुलाया गया प्रत्येक पशुचिकित्सा व्यवसायी, जिसके संक्रामित होने का उसे विश्वास है, क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग करने वाले निरीक्षक को तत्काल तथ्य की रिपोर्ट देगा ।

शव परीक्षा करने की पशुचिकित्सा शल्य चिकित्सक की शक्ति।

14. ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, पशु चिकित्सा शल्य-चिकित्सक, ऐसे पशुधन या पक्षी की शव परीक्षा कर सकेगा या करवा सकेगा जो उसकी मृत्यु के समय संक्रामित था या जिसके उस समय संक्रामित होने का सन्देह है, और इस प्रयोजन के लिए, वह किसी ऐसे पशुधन या पक्षी के शव को खोद कर निकलवा सकेगा ।

संक्रामी पशुओं या पक्षियों को अलग करने की शक्ति।

15. (1) जहां निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण हो, कि कोई पशु या पक्षी संक्रामी है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे पशु या पक्षी के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को, इसे वहीं रखने का जहां वह तत्समय हो या इसे ऐसे अलगाव या पृथककरण के स्थान पर और ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हटाये या हटाने का निर्देश दे सकेगा :

परन्तु जहां पशु या पक्षी का कोई भारसाधक व्यक्ति न हो और स्वामी अज्ञात हो या उसे आदेश असम्यक विलंब के बिना संसूचित नहीं किया जा सकता हो अथवा पशु या पक्षी का भारसाधक व्यक्ति ऐसा करने, यथा उपरोक्त आदेशित किया गया है, से इन्कार करता है तो, निरीक्षक पशु या पक्षी का अभिग्रहण कर सकेगा और इसे अलग या पृथककरण के स्थान पर हटा सकेगा ।

(2) निरीक्षक इस धारा के अधीन अभिग्रहण के प्रत्येक आदेश की तत्काल रिपोर्ट पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक को देगा ।

पशु चिकित्सा शल्य-चिकित्सक द्वारा परीक्षण ।

16. पशु चिकित्सा शल्य-चिकित्सक धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यथाशक्यशीघ्र, उस पशु या पक्षी का परीक्षण करेगा और सभी पशुधन या पक्षियों का, परीक्षण भी कर सकेगा, जो इनके सम्पर्क या सामीप्य में रहे हों, और इस प्रयोजन के लिए किसी पशु या पक्षी को ऐसी परीक्षा के लिए प्रस्तुत कर सकेगा जैसी सरकार विनियमों द्वारा इस निमित विहित करे ।

पशु चिकित्सा शल्य-चिकित्सक द्वारा परीक्षण के पश्चात् कार्रवाई ।

17. (1) यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक की यह राय हो कि कोई पशु या पक्षी संक्रामित नहीं है तो, निरीक्षक इसे तत्काल उस व्यक्ति को लौटा देगा जो उसकी राय में इसके कब्जे का हकदार है :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति का सम्यक् असुविधा के बिना पता नहीं लगाया जा सकता हो वहां निरीक्षक पशु या पक्षी को निकटतम पशु निरोधिका (कांजी हाऊस) में भेजेगा या इसके बारे में ऐसी रीति में कार्यावाही करेगा जैसा इस निमित्त सरकार, नियमों द्वारा विहित करे ।

(2) यदि ऐसे परीक्षण के पश्चात् पशु चिकित्सा शल्य-चिकित्सक लिखित रूप में यह प्रमाणित करता है कि कोई पशु या पक्षी अनुसूचित रोग से प्रभावित है, तो वह इसके बारे में ऐसी रीति में कार्यवाही करेगा जैसी इस निमित्त सरकार नियमों द्वारा विहित करे ।

(3) यदि, ऐसे परीक्षण के पश्चात् पशु चिकित्सा शल्य-चिकित्सक प्रमाणित करता है कि पशु या पक्षी संक्रामित है, भले ही रोग ग्रस्त नहीं है, तो पशु या पक्षी के साथ ऐसी रीति में कार्यवाही की जाएगी जैसी इस निमित्त सरकार, नियम द्वारा विहित करे ।

नष्ट किए गए पशु या पक्षियों के लिए प्रतिकर ।

18. यदि पशु या पक्षी को धारा 17 के अधीन नष्ट किया जाता है तो स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जा सकेगा और ऐसा प्रतिकर, सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, अवधारित किया जाएगा :

परन्तु:—

(i) ऐसे पशु या पक्षी के बारे में किए गए इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के सिद्धदोष किसी व्यक्ति को, कोई भी प्रतिकर संदत्त नहीं किया जाएगा ;

(ii) किसी ऐसे पशु या पक्षी के बारे में कोई प्रतिकर संदत्त नहीं किया जाएगा, जिसे जब हिमाचल प्रदेश में लाया गया तो ऐसे रोग से रोग ग्रस्त था, जिस कारण इसे नष्ट किया गया था ।

संक्रामित परिसरों, जलयानों या यानों के विसंक्रामण की अपेक्षा करने की शक्ति ।

19. (1) सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, पशुचिकिसा शल्य-चिकित्सक, लिखित आदेश द्वारा, किसी इमारत यार्ड, जलयान या यान के स्वामी, अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति से, जिसमें ऐसा संक्रामित पशु या पक्षी रहा हो, ऐसी इमारत, यार्ड, जलयान या यान को विसंक्रामित करने की अपेक्षा कर सकेगा और उसकी आन्तरिक फिटिंगज और उसमें या उसके निकट पाई गई चीजों को ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए विसंक्रामित या नष्ट किया जाएगा ।

(2) यथा उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, यदि ऐसा स्वामी, अधिभोगी या व्यक्ति युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसे आदेश की अपेक्षताओं का पालन करने में असफल रहता है, तो निरीक्षक ऐसी इमारत, यार्ड, जलयान या यान को विसंक्रामित करवा सकेगा और आन्तरिक फिटिंगज तथा दूसरी चीजों को स्वामी के खर्च पर विसंक्रामित या नष्ट करवाएगा ।

प्राइवेट संक्रामित स्थानों की घोषणा ।

20. (1) यदि निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी क्षेत्र, यार्ड या इमारत में, जिसमें पशु या पक्षियों को अस्थाई रूप में या अन्यथा रखा जाता है कोई संक्रामिक पशु या पक्षी है तो वह तुरन्त लिखित आदेश द्वारा उस स्थान को संक्रामित स्थान घोषित करेगा और उस स्थान के स्वामी, अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति को आदेश की एक प्रतिलिपि परिदत्त करेगा और अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक को देगा ।

(2) यह धारा किसी स्थानीय प्राधिकरण या रेल प्रशासन के स्वामित्वधीन या नियन्त्रण अथवा प्रबन्ध के अधीन के किसी स्थान या विमान क्षेत्र पर लागू नहीं होगी जहां पशु और पक्षियों को अस्थायी रूप से बिक्रय या प्रदर्शनी के लिए अथवा अभिवहन रखा जाता है ।

पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक द्वारा संक्रामित स्थान का परीक्षण ।

21. (1) पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक, यथासम्भव शीघ्रता से, संक्रामित स्थान और उसमें रखे गए पशु या पक्षियों का परीक्षण करेगा और निरीक्षक के आदेश को रद्द या उसकी पुष्टि कर सकेगा ।

(2) यदि वह आदेश की पुष्टि करता है, तो वह संक्रामित स्थान से एक मील से अनधिक अर्धव्यास के भीतर, के सभी स्थानों के स्वामियों, अधिभोगियों या भार साधक व्यक्तियों पर, जिनमें पशु या पक्षियों को अस्थायी रूप में या अन्यथा रखा जाता है। ऐसे स्थानों को संक्रामित स्थान घोषित करते हुए, नोटिस की तामील करवा सकेगा ।

पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक, इस उप-धारा के अधीन सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्राधिकारी को अपनी कार्रवाई की तत्काल रिपोर्ट देगा ।

संक्रामित सार्वजनिक स्थान की घोषणा ।

22. (1) जब पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी स्थानीय प्राधिकरण, रेल प्रशासन या वायुयान कम्पनी के स्वामित्व, नियन्त्रण या प्रबन्ध के अधीन के किसी स्थान में संक्रामित पशु या पक्षी हैं या रहे हों, जहां पशु या पक्षियों को अस्थाई रूप में विक्रय, अभिवहन या प्रदर्शनी के प्रयोजन के लिए रखा जाता है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे स्थान को संक्रामित स्थान घोषित कर सकेगा ।

(2) पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि स्थान की जन भाषा में, संक्रामित स्थान में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करवाएगा और वही इसकी प्रतिलिपियां, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में या रेल प्रशासन के निकटतम पुलिस स्टेशन को भी एक प्रतिलिपि भेजेगा, और वह अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट इस निमित्त सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

संक्रामित क्षेत्रों की सरकार द्वारा घोषणा ।

23. (1) धारा 21 की उप-धारा (2) या धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर और आगे ऐसी जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी यह उचित समझे, सरकार--

(क) धारा 20, 21 या 22 के अधीन की गई किसी घोषणा को रद्द कर सकेगी ; या

(ख) ऐसी घोषणा की परिवर्तनों सहित या रहित पुष्टि कर सकेगी ।

(2) जहां सरकार किसी घोषणा को रद्द करती है, वहां निरीक्षक उन सभी व्यक्तियों को जिनको ऐसी घोषणा की प्रतिलिपियां परिदत्त की गई थी या जिन पर ऐसी घोषणा के नोटिस की तामील की गई थी, रद्द करने का नोटिस देगा ।

(3) जहां सरकार ऐसी घोषणा की परिवर्तनों सहित या रहित पुष्टि करती है, वहां सरकार अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित करते हुए जिस को अधिसूचना लागू होगी, ऐसे क्षेत्र को संक्रामित क्षेत्र घोषित करेगी ।

(4) ऐसी अधिसूचना जारी किए जाने पर निरीक्षक या पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक द्वारा संक्रामित स्थान के रूप में घोषित और इस प्रकार परिनिश्चित संक्रामित क्षेत्र में असम्मिलित कोई स्थान, संक्रामित स्थान नहीं रहेगा और निरीक्षक ऐसे स्थान के स्वामी, अधिभोगी और भारसाधक व्यक्ति को तदनुसार नोटिस देगा

(5) निरीक्षक उप-धारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना की प्रति लिपि संक्रामित क्षेत्र के किसी प्रमुख स्थान पर और क्षेत्र की जनभाषा में प्रदर्शित करवाएगा और ऐसी अधिसूचना में परिवर्तन, संशोधन, फेरफार या विखण्डन करने वाली किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना की प्रतिलिपि भी प्रदर्शित करवाएगा ।

संक्रामित क्षेत्रों या स्थानों से पशुओं या पक्षियों और अन्य वस्तुओं का हटाया जाना ।

24. (1) निरीक्षक द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार के सिवाए, कोई व्यक्ति, किसी संक्रामित क्षेत्र या स्थान में किसी मृत या जीवित पशु या पक्षी अथवा किसी पशु या पक्षी के भाग अथवा किसी पशु या पक्षी के सम्बन्ध में प्रयुक्त कोई चारा, बिछौना या अन्य को नहीं हटाएगा ।

(2) इस धारा की कोई भी बात, किसी संक्रामित क्षेत्र या स्थान में से किसी पशु या पक्षी अथवा चीज के रेल द्वारा अभिवहन को नहीं रोकेगी :

परन्तु जहां उप-धारा (1) में वर्णित कोई पशु या पक्षी अथवा अन्य चीज संक्रामित क्षेत्र या स्थान में से अभिवहन के दौरान वहां उतारी जाती है तो इसे उप-धारा (1) के अनुसार के सिवाए वहां से नहीं हटाया जाएगा ।

संक्रामित क्षेत्रों को पशु या पक्षियों आदि को लौटाने की शक्ति ।

25. जहां धारा 24 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार से अन्यथा, किसी पशु या पक्षी अथवा चीज को किसी संक्रामित क्षेत्र या स्थान से हटाया जाता है, वहां कोई निरीक्षक या पुलिस अधिकारी ऐसे पशु या पक्षी अथवा चीज के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति से इसे ऐसे क्षेत्र या स्थान को लौटाने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि स्वामी या भारसाधक व्यक्ति युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो इसे और देरी किए बिना स्वामी के खर्च पर लौट सकेगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, संक्रामित पशु या पक्षियों के साथ व्यवहार करने की निरीक्षक की धारा 15 के अधीन की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।

आदेशों के अनुपालन और प्रवर्तन के लिए समय ।

26. जहां इस अधिनियम के अधीन किसी नोटिस, अध्यपेक्षा या आदेश द्वारा या तद्धीन जारी किसी अधिसूचना या नियम के अधीन, किसी व्यक्ति से उसके स्वामित्वधीन या अधिभोग में अथवा उसके प्रभार में किसी सम्पत्ति के बारे में कोई उपाय या कोई बात की जानी अपेक्षित हो, वहां ऐसे नोटिस, अध्यपेक्षा या आदेश में युक्ति-युक्त समय जिसके भीतर, यथास्थिति, ऐसा उपाय या ऐसी बात की जाएगी, विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

इस अध्याय के अधीन उपगत व्यय की वसूली ।

27. जहां इस अध्याय के अधीन किसी सम्पत्ति के बारे में उसके स्वामी के खर्च पर कोई कार्रवाई की जाए, वहां ऐसी कार्रवाई करने वाला अधिकारी, उपगत व्यय की रकम और उस व्यक्ति का कथन करते हुए जिससे ऐसी रकम वसूलीय है, एक प्रमाण पत्र विरचित कर सकेगा और कोई मैजिस्ट्रेट जिसे ऐसा प्रमाण-पत्र पेश किया जाता है, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, ऐसी रकम वसूल कर सकेगा मानो यह उस द्वारा ऐसे व्यक्ति पर अधिरोपित जुर्माना था ।

अध्याय 3

शास्तियां और प्रक्रिया

अधिनियम, विनियमों और नियमों के उल्लंघन के लिए शास्तियां

28. जो कोई--

(क) धारा 9 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में हिमाचल प्रदेश के किसी भाग से कोई जीवित या मृत पशु या पक्षी, अथवा पशु या पक्षी का कोई भाग या कोई चारा अथवा बिछौना या अन्य चीजों को हटाएगा या उस धारा की उप-धारा (2) के उल्लंघन में पशु या पक्षियों का आयात करेगा ;

(ख) धारा 10 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में पशु या पक्षियों की कोई मण्डी, मेला या प्रदर्शनी लगाता है या अभिवृद्धि करता है अथवा अन्य सकेन्द्रण, करता है या उनमें भाग लेता है ;

(ग) धारा 11 के उल्लंघन में किसी संक्रामित पशु या पक्षी या धारा 11 में वर्णित किसी चीज को संक्रम हो सकता हो या पशु अथवा पक्षी के शव का जो उसकी मत्यु के समय संक्रान्त था, विक्रय या अन्यथा दुर्व्यापार करेगा अथवा विक्रय या दुर्व्यापार करने का प्रयत्न करेगा ;

(घ) सामान्य वाहक होने के नाते, धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित रीति में या उस धारा की उप-धारा (2) के अधीन निरीक्षक द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार, पशु या पक्षियों के परिवहन के लिए प्रयोग में लाए गए किसी जलयान या यान को साफ या विसंक्रामित करने में असफल रहेगा ;

(ङ) धारा 13 के उल्लंघन में, यह रिपोर्ट करने में, असफल रहेगा कि पशु या पक्षी संक्रामित है ;

(च) धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षक द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है ;

(छ) पशुचिकित्सा शल्य-चिकित्सक द्वारा धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा ;

(ज) धारा 24 के उल्लंघन में किसी संक्रान्त स्थान में किसी पशु या पक्षी अथवा चीज को हटाएगा ।

वह जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

खुली भूमि में संक्रामित पशु और पक्षी रखने या चराने के लिए शास्ति ।

29. जो कोई किसी वन, खुले क्षेत्र, मार्ग पार्श्व या अन्य खुली भूमि में या पर, जहां दूसरे व्यक्तियों का अपने पशु या पक्षियों के लिए पहुंच का अधिकार है, कोई पशु या पक्षी जिसके संक्रामित होने का उसे ज्ञान है रखेगा या चराएगा वह जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

संक्रामित पशु और पक्षी को मण्डी में लाने के लिए शास्ति ।

30. जो कोई किसी पशु या पक्षी को, जिसके संक्रामित होने का उसे ज्ञान है किसी मण्डी, मेले प्रदर्शनी या पशु अथवा पक्षियों के सकेन्द्रण में, लाएगा या लाने का प्रयत्न करेगा वह जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में एक सौ रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

नदी में संक्रामित पशु और पक्षी के शव रखने के लिए शास्ति ।

31. जो कोई किसी पशु या पक्षी के शव अथवा शव के भाग को, जो उसकी मृत्यु के समय संक्रामित था या जिसे संक्रामित होने या संक्रामित होने के संदेह पर नष्ट किया गया है किसी नदी, नहर या अन्य जलाशय में रखेगा या रखवाएगा अथवा रखने की अनुज्ञा देगा, वह, कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने में, जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या कारावास और जुर्माना दोनों से, दण्डनीय होगा ।

मृत पशु या पक्षी के शव को खोद कर निकालने के लिए शास्ति ।

32. जो कोई, किसी पशु या पक्षी के शव या शव के भाग को, जो उसकी मृत्यु के समय संक्रामित था या जिसे संक्रामित होने अथवा संक्रामित होने के संदेह पर नष्ट किया गया है विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना खोदकर निकालेगा या खोदकर निकलवाएगा, वह जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, एक सौ रुपये तक हो सकेगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

निरीक्षक द्वारा विद्वेशपूर्ण और तंग करने वाले प्रवेश या अभिग्रहण के लिए शास्ति ।

33. (1) जो कोई निरीक्षक होते हुए , किसी भूमि या इमारत अथवा अन्य स्थान या किसी जलयान अथवा यान में विद्वेशपूर्ण और तंग करने के लिए प्रवेश करेगा या निरीक्षण करेगा, या किसी पशु अथवा पक्षी का अधिक्रमण करेगा या निरुद्ध करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) इस धारा के अधीन कोई अभियोजन, उस तारीख से जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, एक मास के अवसान के पश्चात् संस्थित नहीं किया जाएगा ।

कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना ।

34. इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन, धारा 33 के अधीन के सिवाए, पशु चिकित्सा शल्य-चिकित्सक या निरीक्षक के प्राधिकार के बिना या उसके अनुसरण के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

मैजिस्ट्रेट की अधिकारिता।

35. कोई मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा यदि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इस निमित सशक्त प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी मैजिस्ट्रेट नहीं है ।

प्रतिकर के लिए दावे का वर्जन।

36. कोई व्यक्ति धारा 18 में यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी पशु या पक्षी अथवा चीज के नष्ट किए जाने बारे में या इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के कारण उसको हुई किसी अन्य हानि, क्षति या अहित अथवा असुविधा के बारे में किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

प्रत्यायोजन।

37. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को, अपने किन्हीं अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

विनियम और नियम बनाने की सरकार की शक्ति।

38. (1) सरकार, निम्नलिखत सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी, अर्थात:—

(क) धारा 8 के अधीन निरीक्षक की प्रदेश और निरीक्षण करने की शक्तियां परिभाषित करने ;

(ख) धारा 10 के अधीन पशु या पक्षियों की मंडियां, मेले, प्रदर्शनियां या अन्य सकेन्द्रण को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने;

(ग) धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन जलयानों या यानों के विसंक्रामण और धारा 15 के अधीन पशु या पक्षियों को अलग-अलग या पृथक करने के लिए स्थान नियत करने ;

(घ) धारा 14 के अधीन पशु या पक्षियों का शव परीक्षण और धारा 17 की उप-धाराओं (1), (2) और (3) के अधीन पशु या पक्षियों के निपटारे को विनियमित करने ;

(ङ) धारा 18 के अधीन संदेय प्रतिकर का अवधारण करने के लिए उपबन्ध करने ;

(च) धारा 19 के अधीन पशु चिकित्सा शल्य-चिकित्सक और निरीक्षक की शक्तियों के प्रयोग को विनियमित करने ;

(छ) धारा 21 की उप-धारा (2) और धारा 22 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को विहित करने ;

(ज) धारा 24 के अधीन निरीक्षक द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों के प्ररूप और विषय वस्तु तथा वे परिस्थितियां जिनके अधीन ये दी जा सकेंगी, विहित करना ;

(झ) स्वामी की ओर से उपगत व्यय के लिए धारा 27 के अधीन प्रमाणपत्रों में अनुसरण किए जाने वाले प्रभारों के मापमान विहित करने ;

(ञ) पृथककरण, निरोध, उपचार जिसके अन्तर्गत वंहयकरण और इनोकुलेशन भी हैं। और उन पशु या पक्षियों का निपटारा जो संक्रामित हैं या जिनका संक्रामित होने का सन्देह है और उनके शवों के भागों के निपटारे को विनियमित करने ;

(ट) निरीक्षकों के कर्त्तव्य और शक्तियां विनियमित करने और उनकी अर्हताएं विहित करने ;

(ठ) वह रीति विहित करना जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई रिपोर्ट या नोटिस की जाएगी या दिया जाएगा ;

(ड) हिमाचल प्रदेश या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग या स्थान में प्रवेश और जीवित या मृत पशु या पक्षियों, अथवा पशु या पक्षी के भाग या चारा,

बिछौना या अन्य चीज का हिमाचल प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचालन को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने ;

(ढ) संक्रामित पशु या पक्षियों अथवा संक्रामित पशु या पक्षियों के शवों के विक्रय या दुर्व्यापार को प्रतिषिद्ध या सीमित करने;

(ण) सामान्य वाहकों द्वारा प्रयोग किए गए जलयानों या यानों के विसंक्रामण, पशु या पक्षियों के लिए प्रयोग की गई इमारतों, यार्ड और अन्य स्थानों की सफाई और विसंक्रामण और उसमें और उसके निकट पाये गए संक्रामित पदार्थ या चीजों के नष्ट किए जाने को विनियमित करने;

(त) उन पशु या पक्षियों को, जिनके संक्रामित होने का सन्देह हो, लागू होने वाले परीक्षण विहित करने;

(थ) वह रीति जिसमें पशु या पक्षियों को नष्ट किया जाएगा और वह रीति जिसमें अधिनियम के अधीन अभिगृहीत शव या शवों के भाग, चारा, बिछौना या अन्य चीजों का निपटारा किया जाएगा, विहित करने; और

(द) अन्तर्राज्यिक निरोधा स्टेशन (करंतीन स्टेशन) पर निरोध की अवधि और टीका लगाने तथा चिन्ह लगाने की फीस विहित करने के लिए ।

(2) इस धारा के अधीन नियम बनाते हुए सरकार, यह निदेश दे सकेगी कि इसका भंग जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, एक सौ रुपये और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती दोषसिद्धी की दशा में, पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएग । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रामिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विनियम और नियम बनाने की शक्ति का पूर्व प्रकाशन के अधीन होना ।

39. (1) इस अधिनियम द्वारा विनियम और नियम बनाने के लिए प्रदत्त शक्ति, इस शर्त के अधीन दी गई है कि विनियम और नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे ।

(2) सरकार द्वारा इस अधिनिमम के अधीन बनाए गए सभी विनियम और नियम राजपत्र में प्रकाशित होंगे ।

इस अधिनियम के अधीन कार्यरत व्यक्तियों का संरक्षण ।

40. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

41. प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब कन्टजस डिजीज ऐक्ट, 1948 और पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब लाईवस्टाक ऐन्ड वर्डज डिजीज ऐक्ट, 1948 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं : 1948 का 47 1966 का 31

परन्तु पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्यवाही अथवा आरम्भ या जारी रखी गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई, आरम्भ या जारी रखी गई समझी जाएगी ।

अनुसूचि

अंग्रेजी नाम	देशी नाम
1. रिन्डरपेस्ट और कैटल प्लेग	1. माता, बाह, सीतला, मोक, जैहमत
2. फुट ऐन्ड माऊथ डिजीज	2. रोड़ा मुनुखर
3. हेमरज-इक सेप्टिसीमईज	3. गल-घोटू, गढ़ी
4. ब्लैक क्वार्टर	4. फर सुजा
5. ऐन् थ्रैक्स	5. सत, गोली
6. ट्यूबः क्यूलोस्न्इस	6. तपेदिक
7. जोहनज डिजीज	7. पुराना दस्त
8. ग्लैन्डर्ज ऐन्ड कार्सि	8. वढकनर
9. इपिजूटिक लिम्फनगाईटिस	9. जहरबीद
10. इआरिज़	10. अतशिखी अस्पान
11. रेवीज	11. हलकापन, बावलापन, पागलपन
12. सुरा	12. फेटा, तेवसी या सोकरा
13. ऐफरिकॅन हार्स	13. अफ्रीका की घोडों की बीमारी
14. स्वाइन फीवर	14. सुअरों का बुखार
15. कैन्टेजेंस कपैरीन प्लूअंरोन्यू मोनयं	15. फोटका
16. कंनटेजंस अवार्शन	16. मुतादि इस्काते हमल
17. रानी खेत डिजीज	17. रानीखेत
18. मैमॅनलीसिस	18. चूजों के सफेद दस्त
19. कार्कीडिओसिस	19. मरोड़